तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामफुल बनाम राजस्थान सरकार** **अपील संख्या 714/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00726)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उनकी बहस प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा किये जाने पर सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया है कि उक्त प्रकरण में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी सहमति से समझौता हो गया है। इसलिये अपीलान्ट उक्त प्रकरण को आगे नही चालना चाहते है। उक्त अपील को इसी स्तर पर अपीलान्ट अपनी स्वैच्छा से विड्रा करना चाहते है। इसलिये अपीलार्थीगण को उक्त अपील विड्रा करने की अनुमति प्रदान करना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र बाबत अपील विड्रा किये जाने स्वीकार फरमाया जाकर अपील विड्रा करने की अनुमति प्रदान करें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट की आपसी सहमति से समझौता हो जाने के कारण अपीलार्थीगण स्वयं ही अपनी अपील को आगे नही चलाना चाहते है तथा इसी स्तर पर विड्रा करने चाह रहे है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील को विड्रो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थीगण विड्रो/खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया। 29/8/23 **(अन्तरसिंह नेहरा)** संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	